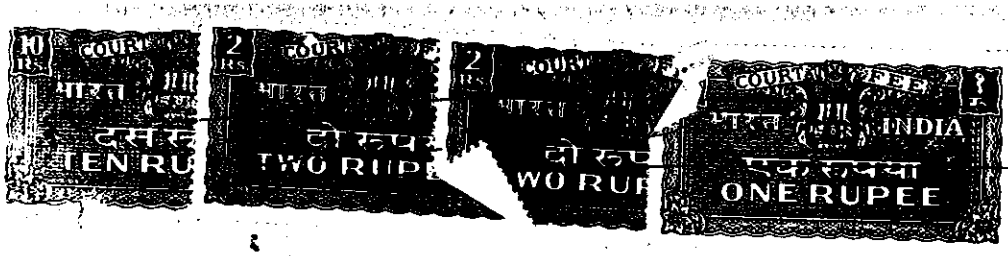

COURT FEE 10 Rs. भारत दस रुपये TEN RU
COURT FEE 2 Rs. भारत दो रुपये TWO RUPE
COURT FEE 2 Rs. भारत दो रुपये WO RUF
COURT FEE 1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

140

C. FPS 151

BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

GWALIOR

Revision Petition ------------of 2008

R. 1674-IV/08

अभिभाषक परामर्श ... एडवोकेट द्वारा आज दि० 30-12-08 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

Harveer Singh S/o Shri Kabul Singh, Aged 17 years (minor), under the Guardianship of father Kabool Singh S/o Amar Singh, Caste – Raghuvanshi R/o Satpada Tehsil Lateri District Vidisha.

---Applicant

-Versus-

dead

1- Kastoorchand S/o Shri Mohanlal R/o Village Anandpur Tahsil Lateri District Vidisha.

30-12-08 (Subodh ... Advocate)

2- Khushiya S/o Shri Imartiya

3- Babua S/o Shri Imartiya

4- Tonda S/o Shri Imartiya

5- Shukka S/o Shri Hariya

6- Santu S/o Shri Hariya

All residents of Village Satpada Tahsil Lateri District Vidisha.

--Respondents

Revision Petition under section 50 of Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 arising out of order dated 15-04-08 passed by M.S. Dr. Beena Ghanedkar Learned Additional Commissioner

Bhopal and Hoshangabad Division in appeal no. 105/ Appeal /01-02.

Most respectfully applicants submits this Revision Petition as under :-

1- The applicants who is minor has purchased the property of survey no. 115/1, 114 area 0.696 hectare and 1.833 hectare respectively vide sale deed 30-09-05 copy of the sale deed is annexure –A . The seller of applicant – Susheel Kumar has purchased the Land of survey no. 114 from Khushiya. The sale deed was executed on 17-05-02.

2- The Respondent Khushiya was the owner of the said property and Bhoomi Swami right has been assigned to him vide order dated 15-07-86 passed in case no.17 A. 46/78-79.It is required to mention here that the order of assignment of rights to applicant's predecessor has attained finality and looking to the status the property has been purchased.

3- One Kastoor Chand has filed the appeal against the order of revenue authority before Learned S.D.O. It was a time barred appeal there was no explanation with regard to long delay of 10 years. The order of assignment of rights was passed in the year1986 ;it was challenged in the year1996 and the delay remained unexplained therefore the appellate court has dismissed the appeal as time barred.

4- Against the said order the appeal was preferred by respondent no1.The lower appellate court entertained the appeal decided

BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

GWALIOR

Revision Petition .... of 2008 R-1674. IV/08

1674/09 R.P.

मृतक कस्तूर चन्द के वारिसान

(अ) कमलाबाई पत्नी स्व. श्री कस्तूर चन्द

(ब) विजय जैन पुत्र स्व. श्री कस्तूर चन्द

(स) राजकुमार जैन पुत्र स्व. श्री कस्तूर चन्द

(द) कमल जैन पुत्र स्व. श्री कस्तूर चन्द

(इ) रेखा पुत्री स्व. श्री कस्तूर चन्द

(ई) सुनीता पुत्री स्व. श्री कस्तूर चन्द

निवासीगण- ग्राम आनन्दपुर तहसील लटेरी

जिला विदिशा म०प्र०

[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1674–चार/2008 जिला–विदिशा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पल्लव त्रिपाठी उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुकर उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 15–04–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया। इस आवेदन पत्र में अत्यधिक काट्पीट होने से इस आवेदन का आशय स्पष्ट नहीं हो सका । जो आशय स्पष्ट हुआ है वह यह है कि प्रश्नाधीन भूमि हरिया के पश्चात इमरतिया एवं इमरतिया के पश्चात अनावेदकगण के पास 22–23	

वर्ष से आधिपत्य में रही है एवं उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी हक प्राप्त हो गया है अतः उनका नामांतरण किया जाये । इसी नस्ती में एक आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा सी0पी0सी0 आदेश–1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें नाम जोड़े जाने हेतु निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त एक और आवेदन पत्र अंतर्गत सी0पी0सी आदेश –6 नियम 17 अंतर्गत प्रस्तुत कर मूल आवेदन में संशोधन प्रस्तावित किया गया। प्रकरण में अनावेदक कस्तूरचंद के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिवाद भी क्रमशः दिनांक 30.10.79 एवं 12.03.80 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अनावेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश–1 नियम 10 सी0पी0सी0 का दिनांक 25.08.82 को प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कस्तूरचंद मृत हो चुका है एवं मौजूदा कस्तूरचंद फर्जी कस्तूरचंद बनकर प्रकरण में पैरवी कर रहा है। कस्तूरचंद पिता मोहनलाल मृत हो गया है। कस्तूरचंद की बहिन विनिया का एक मात्र पुत्र राजमल पुत्र मिश्रीलाल ही आवेदक की ओर से एक अदिनांकित आवेदन भी प्रकरण में संलग्न पाया गया, जिसमें कस्तूरचंद पुत्र मोहनलाल जीवित बताया गया है एवं ग्राम आनंदपुर में कस्तूरचंद पुत्र मोहनलाल के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस नाम का व्यक्ति न तो आनंदपुर में था और न है। अतः राजमल पुत्र मिश्रीलाल के वारिस होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इस तथ्य को तहसील न्यायालय के द्वारा पूर्णतः अनदेखा किया गया और इस संबंध में पटवारी रिर्पोट भी नहीं ली गई पाई गई है। इस प्रकार नायब

तहसीलदार, टप्पा आनंदपुर के न्यायालय में प्रचलित समस्त कार्यवाही विधि विपरीत संपादित की गई प्रतीत होती है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बिना गुण–दोषों पर विवेचना किये की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में यह सपष्ट रूप से लिखा गया है कि अनावेदक को मृतक बताकर उसके वारिस राजमल पुत्र मिश्रीलाल को कपटपूर्वक फर्जी नाम से सूचना पत्र तामील कराकर राजस्व अभिलेख में उसके स्थान पर अनावेदकगण का नाम अंवैधानिक रूप से अंकित कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाये, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे। जब अनुविभागीय अधिकारी को इस तयि का पता हो गया था कि अनावेदक कस्तूरचंद मृत नहीं है तो उनके द्वारा इस संबंध में विधिवत जांच कराई जाकर उत्तरदायी अधिकार के विरूद्ध कार्यवाही की जाना चाहिये थी। इसके अलावा भू–राजस्व संहिता की धारा 190 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि "भूमिस्वामी अधिकार उन्हीं को हैं जो संहिता की धारा 185 के अधीन संहिता के प्रवर्तन के समय मौरूषी कृषक के रूप में भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आदेश भूमिस्वामी पर बंधनकारी नहीं रहेगा एवं भूमिस्वामी अर्जन का सबूल प्रस्तुत करने का भार दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है।" तहसील की प्रकरण नस्ती में वर्ष 1973–74 की खसरा नंकल संलग्न पाई गई, किन्तु लगान अनावेदकगण के द्वारा जमा किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं पाये गये । केवल कैफियत के खाने में

खुशिया पुत्र इमरतिया अनावेदक क्र0 2 का नाम लिखा गया पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय में कस्तूरचंद को मृतक बताया गया तो अपील प्रस्तुत करने वाला कस्तूरचंद जीवित कैसे है। अनावेदक के पहचान के प्रमाणीकरण के संबंध में संबंधित ग्राम कोटवार, पटवारी अथवा ग्राम पंचायत किसी को भी प्रतिवेदन से स्थापित किया जा सकता था। इस संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः लापरवाही बरती गई है, जिसका अन्यथा लाभ अनावेदकगण को मिला हुआ स्पष्टतः स्थापित होता है। दोनों न्यायालयों की लापरवाही के कारण एक वास्तविक भूमिस्वामी अपनी भूमि से लगातार वंचित होता हुआ प्रतीत होता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि जो आवेदन पत्र कथित मृतक कस्तूरचंद के वारिस के रूप में तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसके एकपक्षीय होने से द्वितीय पक्ष को अपने पक्ष समर्थन का कोई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह अनावेदकगण दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं गया है एवं छलकपट पूर्वक अनावेदक को मृत घोषित कर उसका फर्जी वारिस घोषिस कर एकपक्षीय कर सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित कराई जाना स्पष्ट होता है, अनावेदकगण का यह कृत्य क्षम्य नहीं है। इन्हीं आधारों पर अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है तथा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेश 15.07.86 एवं 29.10.2001 निरस्त किया गया है तथा प्रकरण में पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में कस्तूरचंद का नाम स्थापित किये जाने के आदेश दिये गये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के तत्कालीन पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा अनावेदकगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के निर्देश कलेक्टर, विदिशा को दिये गये है। मैं अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के द्वारा की गई इस कार्यवाही से सहमत हूँ। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–04–2008 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य